



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ. ग.)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Tel: 07752-260000, 260003. Fax: 07752-260154

Website: www.ggu.ac.in Email:

क्रमांक 98 / परीक्षा / 2019
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 03/06/2019

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कार्यवाही हेतु दिशा- निर्देश बाबत।
सन्दर्भ:- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 6-5/2017
(SCT) दिनांक 07/04/2019

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12/05/2019 के विषय क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक- F.No. 6-5/2017 (SCT) दिनांक 07/04/2019 के माध्यम से प्राप्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम -2016 को अंगीकृत किया गया है।

अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेब पटल में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 उपलब्ध है।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 03/06/2019

पृ० क्रमांक 99 / परीक्षा / 2019
प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के निजसहायक/शीघ्रलेखक की ओर मा.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष (विश्वविद्यालयीन परीक्षा), विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमी / गोपनीय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, सी.एस.आई.टी. विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. मीडिया प्रभारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

उप कुलसचिव (परीक्षा)